सं०सं०–म०नि०–II–उ० यो०–86 / 2021–22 / ...44...रा०(वि०)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची / दिनांक ...16.02.2026

विषय– केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तार्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्रांश / राज्यांश एवं लाभुक का अंशदान सहित कुल मो0 2715.00 लाख (सत्ताईस करोड़ पंद्रह लाख) रुपये मात्र की स्वीकृत परियोजना लागत एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में मो0 717.772 लाख (सात करोड़ सतरह लाख सतहत्तर हजार दो सौ) रु0 मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान - DAJGUA के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार से कुल मो0 2715.00 लाख (सत्ताईस करोड़ पंद्रह लाख) रूपये मात्र का प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत है। इसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुक का अंशदान निहित हैं। इसप्रकार मो0 2715.00 लाख (सत्ताईस करोड़ पंद्रह लाख) रुपये मात्र पर योजना कार्यान्वियन एवं उपलब्ध बजट उपबंध के तहत् केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में मो0 1725.39 लाख (सतरह करोड़ पच्चीस लाख उनचालीस हजार) रुपये मात्र के व्यय हेतु राज्यादेश सं0 30 रा0 (वि0) दिनांक 14.11.2025 निर्गत है।

द्वितीय अनुपूरक आगणक से संसुगत लघु शीर्ष में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए मो0 2715.00 लाख रुपये मात्र के स्वीकृत परियोजना के अधीन केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में मो0 717.772 लाख (सात करोड़ सतरह लाख सतहत्तर हजार दो सौ) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan – DAJGUA)** क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी प्रखण्डों (Aspirational Blocks) में जनजाति परिवारों का अधिकाधिक कवरेज करते हुए उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2025–26 में DAJGUA के लिए "राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (SLAMC)" के अनुमोदन उपरांत पत्रांक 1398 दिनांक 13.08.2025 द्वारा भारत सरकार को योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गए।

(ग) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में DAJGUA के तहत् मात्र अनुसूचित जनजाति के लिए Beneficiary Oriented Schemes के रुप में पत्रांक j-01013/127/2025-FY (E-26789) दिनांक 26.09.2025 द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ निम्न हैं –

(राशि लाख रु० में)

Category	Project Cost	Central Share	State Share	Beneficiary Share
ST	2714.80	1465.99	977.33	271.48
Rounded Total (Say):	**2715.00**	**1466.00**	**977.00**	**272.00**

3. भारत सरकार द्वारा उपरोक्त अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध केन्द्रांश मद की राशि विमुक्त नहीं की गई है। किन्तु चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक j-01013/127/2025-FY (E-26789) दिनांक 26.09.2025 की कंडिका 7 में अंकित दिशा–निर्देशानुसार –

(ii) वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के OM No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 13.07.2023 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश की विमुक्ति हेतु alternative Fund Flow mechanism के रुप में Just-in-Time basis पर SNA – SPARSH व्यवस्था लागू की गई है।

(ii) राज्य सरकार द्वारा SNA – SPARSH पर **TSP** मद में प्राप्त राशि से DAJGUA के तहत् अनुमोदित fisheries and aquaculture activities पर व्यय किया जायेगा।

4. इस केन्द्र प्रायोजित योजना में निजी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति लाभुकों की योजनाओं में कोटिवार लाभुकों का अंशदान निम्न प्रकार है –

लाभुकों की कोटि	अनुदान की राशि (90%)		लाभुक का अंशदान
	केन्द्रांश	राज्यांश	
अनुसूचित जनजाति	60 %	40%	10 %

5. केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत झारखण्ड राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं (वित्तीय वर्ष 2024–25 के DAJGUA सहित) में केन्द्रांश मद के रुप में SNA – SPARSH पर चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल मो0 2250.00 लाख (बाईस करोड़ पचास लाख) रु0 मात्र के प्राप्त **Mother Sanction** के विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश सम्मिलित करते हुए कुल मो0 3750.00 लाख (सैंतीस करोड़ पचास लाख) रू0 मात्र के व्यय की स्वीकृति राज्यादेश सं0 04 रा0 (वि0) दिनांक 10.06.2025 तथा शुद्धि पत्र सं0 696 दिनांक 03.07.2025 द्वारा प्रदान की गई है। आवंटनादेश सं0 26/आ0 (वि0) दिनांक 03.07.2025 द्वारा राशि आवंटित है।

6. वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजनान्तर्गत DAJGUA के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–j-01013/127/2025-FY (E-26789) दिनांक 26.09.2025 में वर्णित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. (क) इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन में कुल मो0 8020.00 लाख रु0 मात्र का संशोधित योजना उद्व्यय एवं समतुल्य बजट उपबंध द्वितीय अनुपूरक आगणक के माध्यम से प्राप्त है। इसके विरुद्ध विगत् वित्तीय वर्षो के PMMSY एवं DAJGUA सहित मो0 3750.00 लाख रु0 मात्र का स्वीकृत्यादेश सं0 04 रा0 (वि0) दिनांक 10.06.2025, मछुआरों के बीमा हेतु मो0 55.66816 लाख रु0 मात्र का स्वीकृत्यादेश सं0 15 रा0 (वि0) दिनांक 20.08.2025, स्टेट टॉप–अप सहायता के रुप में मो0 394.33184 लाख रु0 मात्र का स्वीकृत्यादेश सं0 28 रा0 (वि0) दिनांक 12.11.2025 तथा चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 का DAJGUA का प्रथम चरण का मो0 1725.39 लाख रु0 मात्र का स्वीकृत्यादेश सं0 30 रा0 (वि0) दिनांक 14.11.2025 निर्गत है।

(ख) विषयक केन्द्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2025–26 में STATE SCHEME - PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (1848) एवं CENTER SCHEME -

PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY) (3890) के तहत निम्न लघु शीर्षों द्वितीय अनुपूरक आगणक से प्राप्त बजट उपबंध से किया जायेगा –

माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–77–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(राशि रू0 में)

क	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	द्वितीय अनुपूरक पश्चात् संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं0 04 रा0 (वि0) दिनांक 10.06.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (PMMSY & DAJGUA)	स्वीकृत्यादेश सं0 15 रा0 (वि0) दिनांक 20.08.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (Insurance)	स्वीकृत्यादेश सं0 28 रा0 (वि0) दिनांक 12.11.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (State Top Up)	स्वीकृत्यादेश सं0 30 रा0 (वि0) दिनांक 14.11.2025 द्वारा स्वीकृत राशि (DAJGUA)	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन								
1	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	200000000	200000000	123000000	0	0	58725000	0	18275000
	कुल केन्द्रांश	**200000000**	**200000000**	**123000000**	**0**	**0**	**58725000**	**0**	**18275000**
2	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	133300000	133300000	82000000	0	0	39150000	0	12150000
3	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	3700000	0	0	0	0	0	0	0
4	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) 53X24050010177010649	18000000	21700000	0	3233519	14766481	0	0	3700000
	कुल राज्यांश	**155000000**	**155000000**	**82000000**	**3233519**	**14766481**	**39150000**	**0**	**15850000**
	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना								
5	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	100000000	82000000	22000000	0	0	0	0	60000000
	कुल केन्द्रांश	**100000000**	**82000000**	**22000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60000000**
6	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	66700000	54800000	14667000	0	0	0	0	40133000
7	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	1000000	0	0	0	0	0	0	0
8	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) 53X24050078977010649	9000000	10000000	0	546863	8453137	0	0	1000000
	कुल राज्यांश	**76700000**	**64800000**	**14667000**	**546863**	**8453137**	**0**	**0**	**41133000**

लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना									
9	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	124900000	168000000	80000000	0	0	44798400	43075800	125800
	कुल केन्द्रांश	124900000	168000000	80000000	0	0	44798400	43075800	125800
10	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	83200000	111900000	53333000	0	0	29865600	28701400	0
11	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	2300000	0	0	0	0	0	0	0
12	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश – स्टेट टॉप अप) 53X24050079677010649	18000000	20300000	0	1786434	16213566	0	0	2300000
	कुल राज्यांश	103500000	132200000	53333000	1786434	16213566	29865600	28701400	2300000
	सकल केन्द्रांश	424900000	450000000	225000000	0	0	103523400	43075800	78400800
	सकल राज्यांश	335200000	352000000	150000000	5566816	39433184	69015600	28701400	59283000
	कुल योग (2405) :	760100000	802000000	375000000	5566816	39433184	172539000	71777200	137683800

मो0 717.772 लाख (सात करोड़ सतरह लाख सतहत्तर हजार दो सौ) रू0 मात्र।

8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होगें तथा राशि की निकासी संबंधित जिलों के कोषागार से की जाएगी।

9. इस योजना के तहत् स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर संसूचित सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. केन्द्र प्रायोजित – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का चयन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, PFMS Division, भारत सरकार के पत्रांक 1(27)/PFMS/2020 दिनांक 04.09.2023 द्वारा SNA – SPARSH Module पर कियान्वयन हेतु किया गया है। ऐसी स्थिति में SNA – SPARSH Module पर इस संदर्भ में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर संसूचित सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन DAJGUA हेतु भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11. इसके अतिरिक्त प्रासंगिक योजना के तहत् भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निदेशों एवं SLAMC द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

12. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का भौतिक प्रगति एवं स्थल verification प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा। योजनांतर्गत DAJGUA के तहत् स्वीकृत योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे भारत सरकार को नियमित रुप से भेजा जायेगा।

13. योजनांतर्गत DAJGUA के तहत् निर्धारित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** के रूप में संलग्न है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। भारत सरकार द्वारा DAJGUA हेतु निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन की तिथि से 12 माह की अवधि के अंदर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

14. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी।

15. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुदानों के अतिरिक्त शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।

16. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का पूर्ण विवरण यथा नाम, आधार संख्या, मोबाईल नं0, बैंक खाता एवं राशि हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी लाभुकों के अभिलेख में अंकित हों ताकि निदेशालय/भारत सरकार को पूर्ण विवरण प्रेषित किया जा सके।

17. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे भारत सरकार को नियमित रुप से भेजा जायेगा।

18. आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से विमुक्त राशि के समानुपातिक योजना का सम्यक् योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए निर्गत किया जाएगा।

19. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 44 रा0(वि0)/राँची, दिनांक 16.02.26

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 44 रा0(वि0)/राँची, दिनांक 16.02.26

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 44 रा0(वि0)/राँची, दिनांक 16.02.26

प्रतिलिपि : योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट – 1

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान – DAJGUA का अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(राशि लाख रु0 में)

S.No.	Name of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary No.)		Total Amount Sanctioned	
					ST	Total	Central	State
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY**							
I	**Development of Inland Fisheries and Aquaculture**							
1.1	Carp Hatchery	25.00	Nos.	Sahebganj	1	1	13.50	9.00
				Chaibasa	1	1	13.50	9.00
				Total	**2**	**2**	**27.00**	**18.00**
1.2	New Rearing Ponds	7.00	Ha	Jamtara	6	6	22.68	15.041
				Sahebganj	3	3	11.34	7.56
				Pakur	1	1	3.78	2.52
				Total	**10**	**10**	**37.80**	**25.121**
1.3	Construction of New Grow-out ponds	7.00	Ha	Simdega	2	2	7.56	5.04
				Latehar	2	2	7.56	5.04
				Jamtara	2	2	7.56	5.04
				Dumka	1	1	3.78	2.52
				Jamshedpur	1	1	3.78	2.52
				Gumla	5	5	18.90	12.5605
				Sahebganj	5	5	18.90	12.5605
				Chaibasa	4	4	15.12	10.08
				Saraikela	5	5	18.90	12.60
				Total	**27**	**27**	**102.06**	**67.961**
1.4	Inputs for fresh water Aquaculture including Composite fish culture Scampi, Pangasius, Tilapia	4.00	Ha	Simdega	2	2	4.32	2.88
				Latehar	2	2	4.32	2.88
				Jamtara	2	2	4.32	2.88
				Dumka	1	1	2.16	1.44
				Jamshedpur	1	1	2.16	1.44
				Gumla	5	5	10.80	7.20
				Sahebganj	5	5	10.80	7.20
				Chaibasa	4	4	8.64	5.76
				Saraikela	5	5	10.80	7.20
				Total	**27**	**27**	**58.32**	**38.88**
5	**Technology Infusion and Adaptation**							
5.4.1	Installation of cages in Reservoir	3.00	Nos.	Simdega	4	4	6.48	4.32
				Gumla	8	8	12.96	8.64
				Chaibasa	4	4	6.48	4.32
				Dumka	12	12	19.44	12.96
				Jamtara	12	12	19.44	12.96
				Saraikela	36	36	58.32	38.88
				Ranchi	50	50	81.00	54.00
				Total	**126**	**126**	**204.12**	**136.08**
B.	**Infrastructure And Post Harvest Management**							
6.5	Cycle with ice boxes	0.10	Nos.	Jamshedpur	6	6	0.32	0.22
				Chaibasa	16	16	0.86	0.58
				Simdega	0	0	0.00	0.00
				Saraikela	0	0	0.00	0.00
				Ranchi	5	5	0.27	0.18
				Total	**27**	**27**	**1.46**	**0.97**
	Grand Total				**219**	**219**	**430.758**	**287.014**

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

430.76 287.012

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव